XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रेस्टो.2256–दो/15

जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–7–15	प्रकरण शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर आज प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री एस.पी.धाकड, अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
3–8–15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया। विचारोपरान्त रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण कमांक आर.1820–तीन/14 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /2015 रेस्टो.

रेस्टो० 2256-II-15

1. कस्तूरी लाल पुत्र मुन्नालाल
2. प्रमोद कुमार पुत्र अमृतलाल
3. जवाहरलाल
4. मोहनलाल
5. सुमनलाल
6. शिवदयाल

पुत्रगण स्व. श्री मोतीलाल निवासी ग्राम बरोली ठकुरान तह. जबा जिला रीवा म.प्र.

----- आवेदकगण

एस. डी.-[illegible]
16/07/15
16-7-[illegible]

विरुद्ध

1. बाबूलाल पुत्र स्व. मुन्नालाल निवासी ग्राम बरोली ठकुरन तह. जवा जिला रीवा म.प्र.
2. हल्का पटवारी जबा जिला रीवा म.प्र.

---- अनावेदकगण

संहिता की धारा 35(3) के अधीन आवेदन पत्र वास्ते मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत्

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :--

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त निगरानी में प्र.क. 1820/2014 में पेशी दिनांक 27.03.2015 में नियत थी। आवेदकगण के अभिभाषक ग्वालियर से बाहर गये थे। [illegible] सहयोगी अभिभाषक श्री डी.एस चौहान को दूर भाष पर अवगत कराया कि मेरा प्रकरण श्रीमान के न्यायालय मे नियत है। उन्हें अवगत करा देना कि नियत [illegible] पर उपस्थित नही हो सकूंगा। फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थिती मानकर संहिता की धारा 35(2) अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

2. यह कि [illegible] की अनुपस्थिती के कारण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। [illegible] अभिभाषक की त्रुटि नही मान सकते हैं क्यों कि, प्रकरण मे आवेदक अभिभाषक [illegible] अचानक जाना पड़ा जिसकी सूचना माननीय न्यायालय को [illegible] अभिभाषक श्री डी.एस. चौहान के माध्यम से भिजवादी गई है। फिर भी [illegible] द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थित के कारण निरस्त [illegible] भूल की है। इसकी सूचना आवेदक को नही दी गई इस [illegible] आवेदन पत्र समय सीमा मे होने से मूल प्रकरण पुन नं. पर लिया जाना [illegible]

3. यह कि [illegible] सुनवाई का अवसर प्रदान किए अभिभाषक की अनुपस्थिति [illegible] अदम पैरवी में संहिता की धारा 35 (2) के अधीन निरस्त कर दिया [illegible] प्रकरण का निराकरण गुण दोषा पर पारित किया जाना उचित है।

4. यह कि [illegible] आदेश दिनांक 27.03.2015 की जानकारी सर्वप्रथम न्यायालय में [illegible] करने पर ज्ञात हुआ इस कारण आवेदन [illegible]

अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि, प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए अदम पैरवी में पारित आदेश दिनांक 27.03.2015 निरस्त [illegible] मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकरण प्रकरण का निराकरण गुण दोष पर पारित करने की कृपा करें।

स्थान :- ग्वालियर

आवेदक

कस्तूरी लाल आदि
द्वारा अभिभाषक :

दिनांक:- 16.07.2015